

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक बी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. धिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्गा/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 308]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 12 नवम्बर 2002—कार्तिक 21, शक 1924

वित्त तथा योजना विभाग
[वार्षिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-91 2002/वा.क. (पं.)/पंच (114).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा बिलासपुर जिले के रजिस्ट्रीकरण उप-जिला मरवाही को सीमाओं के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को अपवर्जित कर उन्हें रजिस्ट्रीकरण उप जिला पेण्ड्रा में सम्मिलित करती है, अर्थात् :-

अनु. क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	प.ह.नं. (3)	राजस्व निरीक्षक मंडल (4)	उप तहसील (5)
1.	दरमोहली	12	पेण्ड्रा	मरवाही
2.	पिपरिया	12	पेण्ड्रा	मरवाही
3.	पड़खुरी	12	पेण्ड्रा	मरवाही
4.	खैरझिटी	12	पेण्ड्रा	मरवाही

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	डोंगरिया	12	पेण्ड्रा	मरवाही
6.	मसुरीखार	12	पेण्ड्रा	मरवाही
7.	शुद्धमदेवरी	12	पेण्ड्रा	मरवाही
8.	तीली	12	पेण्ड्रा	मरवाही
9.	झिरनापोड़ी	13	पेण्ड्रा	मरवाही
10.	नरीर	13	पेण्ड्रा	मरवाही
11.	लरकेनी	13	पेण्ड्रा	मरवाही
12.	धनपुर	13	पेण्ड्रा	मरवाही
13.	धोबहर	13	पेण्ड्रा	मरवाही
14.	अण्डी	17	पेण्ड्रा	मरवाही
15.	नगवाही	17	पेण्ड्रा	मरवाही
16.	डूमरखेरवा	17	पेण्ड्रा	मरवाही
17.	कोदवाही	17	पेण्ड्रा	मरवाही
18.	सिलपहरी	17	पेण्ड्रा	मरवाही
19.	लटकनीखुर्द	17	पेण्ड्रा	मरवाही
20.	महोरा	18	पेण्ड्रा	मरवाही
21.	कोटखर्रा	18	पेण्ड्रा	मरवाही
22.	मङ्गवा	18	पेण्ड्रा	मरवाही
23.	बगड़ी	18	पेण्ड्रा	मरवाही
24.	खम्हा	18	पेण्ड्रा	मरवाही
25.	सपनी	18	पेण्ड्रा	मरवाही

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26.	सखनवाही	18	पेण्ड्रा	मरवाही
27.	पेडुका	19	गौरिला	मरवाही
28.	बरवासन	19	गौरिला	मरवाही
29.	भस्करा	19	गौरिला	मरवाही
30.	दर्री	19	गौरिला	मरवाही
31.	गुम्माटोला	19	गौरिला	मरवाही

2. यह अधिसूचना दिनांक 18-11-2002 से प्रभावशील होगी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ 10-91-2002/वा.क. (पं.)/पांच (114).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-91-2002/वा.क. (पं.)/पांच (114), दिनांक 12-11-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 12th November 2002

NOTIFICATION

No. F-10-91-2002/CT(R)/V (114).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government hereby excludes the following villages from the limits of Registration sub-district Marwahi (Bilaspur) and includes them in the limits of Registration sub-district, Pendra (Bilaspur), namely :—

S. No.	Name of Village	Patwari Circle	Revenue Insector Circle	Sub-District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Darmohali	12	Pendra	Marwahi
2.	Pipariya	12	Pendra	Marwahi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Padkhuri	12	Pendra	Marwahi
4.	Khairjhiti	12	Pendra	Marwahi
5.	Dongariya	12	Pendra	Marwahi
6.	Masurikhar	12	Pendra	Marwahi
7.	Gudumdevri	12	Pendra	Marwahi
8.	Tauti	12	Pendra	Marwahi
9.	Jhiranapodi	13	Pendra	Marwahi
10.	Naraur	13	Pendra	Marwahi
11.	Larakeni	13	Pendra	Marwahi
12.	Dhanpur	13	Pendra	Marwahi
13.	Dhobhar	13	Pendra	Marwahi
14.	Andi	17	Pendra	Marwahi
15.	Nagwahi	17	Pendra	Marwahi
16.	Dumarkherava	17	Pendra	Marwahi
17.	Kodwahi	17	Pendra	Marwahi
18.	Silpahari	17	Pendra	Marwahi
19.	Latakoni Khurd	17	Pendra	Marwahi
20.	Mahora	18	Pendra	Marwahi
21.	Kotkharra	18	Pendra	Marwahi
22.	Majhaganva	18	Pendra	Marwahi
23.	Bagadi	18	Pendra	Marwahi
24.	Khanta	18	Pendra	Marwahi
25.	Sapani	18	Pendra	Marwahi
26.	Lakhanwahi	18	Pendra	Marwahi
27.	Medhuka	19	Gorela	Marwahi
28.	Barvasan	19	Gorela	Marwahi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29.	Bhaskura	19	Gorela	Marwahi
30.	Darri	19	Gorela	Marwahi
31.	Gummatola	19	Gorela	Marwahi

2. This notification will be effective from 18-11-2002.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. R. MISRA, Deputy Secretary.